न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 47/2023

प्रार्थी

प्रकाश पुत्र चतराराम जी, जाति–पुरोहित, निवासी–चडुआल, तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) वीसाराम पुत्र चेलाराम जी, जाति–पुरोहित, निवासी–चडुआल, तह. व जिला सिरोही
(2) ग्राम पंचायत, तंवरी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत तंवरी, तहसील व जिला सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, प्रार्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 24 जनवरी, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी प्रकाश पुत्र चतराराम जी, जाति– पुरोहित, निवासी– चडुआल की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा श्री चेलाराम पुत्र भीमाजी, जाति– पुरोहित, निवासी– चडुआल के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अर्न्तगत क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 28.10.1985 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थीगण की ओर से कोई लिखित जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत, तंवरी से उक्त प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां तलब किये जाने पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, तंवरी के पत्र क्रमांक 03 दिनांक 09.4.2024 से उक्त प्रश्नगत पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

(3) प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने बहस के दौरान प्रार्थी के निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी निगरानीकार ग्राम चडुआल, तहसील व जिला– सिरोही का स्थाई निवासी है। प्रार्थी के कब्जे भोगवटे का एक पुश्तैनी भूखण्ड ग्राम चडुआल में फाचरिया जाने वाले सडक पर आया हुआ है, जिसके उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण में आवासीय भूमि गणेश गलबाजी, पूर्व में अप्रार्थी वीसाराम का मकान व पश्चिम में रास्ता है तथा नाप उत्तर में 40 फीट, दक्षिण में 40 फीट, पूर्व में 40 फीट, पश्चिम में 40 फीट कुल क्षेत्रफल 1600 वर्गफीट है। उक्त वर्णित पुश्तैनी कब्जे भोगवटे के भूखण्ड पर प्रार्थी अपने बाप दादाओं के समय से निरंतर व निर्बाध रुप से अप्रार्थीगण व आमजन की जानकारी में काबिज है और उसका उपयोग व उपभोग कर रहा है और उसमें जलाऊ लकडी व पशुओ का गोबर, चारा व सामान आदि रखने हेतु काम में लेता आ रहा है और आज से करीब 6 वर्ष पूर्व उक्त भूखण्ड़ के तीनो तरफ प्रार्थी के पिता ने नींव भरवाकर बाउण्ड्री वाल का निर्माण करवाया है। प्रार्थी के उक्त पुश्तैनी भूखण्ड के लगता हुआ पूर्व दिशा में अप्रार्थी

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

वीसाराम का आवासीय भूखण्ड आया हुआ है जिसमें अप्रार्थी वीसाराम ने मकान निर्माण करवाया है। अप्रार्थी वीसाराम के पिता के नाम से उक्त भूखण्ड का पट्टा संख्या 15 ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा दिनांक 28.10.1985 को जारी किया हुआ है। उक्त पट्टा संख्या 15 में ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा पश्चिम दिशा में 15 फीट का रास्ता गलत दर्शाया है जबकि मौके पर कोई रास्ता नही है। उक्त रास्ता दर्शाने से अप्रार्थी, प्रार्थी को हमेशा हैरान परेशान करता है जबकि मौके पर अप्रार्थी वीसाराम के मकान से लगता हुआ पश्चिम दिशा में प्रार्थी का पुश्तैनी भूखण्ड आया हुआ है और उक्त भूखण्ड के पश्चात् आम रास्ता आया हुआ है जो मोहब्बतनगर से फाचरिया ग्राम जाने का रास्ता है। अप्रार्थी के पिता के नाम से जारी पट्टा संख्या 15 मौके की भौतिक स्थिति के विपरित अडोस पडौस दर्शाते हुए जारी किया गया है। उक्त पट्टे में तीन तरफ पट्टे की भूमि के लगते हुए रास्ता बताया गया है जबकि मौके पर दो तरफ अर्थात् उत्तर व पूर्व दिशा में ही रास्ता है एवं पश्चिम दिशा में अप्रार्थी के भूखण्ड के पास प्रार्थी का भूखण्ड आया हुआ है और प्रार्थी के भूखण्ड के बाद पश्चिम दिशा में रास्ता है। उक्त रास्ता अप्रार्थी के पट्टशुदा भूमि से करीब 40 फुट दूर है अर्थात् पश्चिमी एवं पूर्वी रास्ते के मध्य करीब 100 फीट की आबादी भूमि आई हुई है। यह कि अप्रार्थी वीसाराम के पिता के नाम से जारी उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 15 में मौके की भौतिक स्थिति के विपरित पश्चिम दिशा में रास्ता अंकित किये जाने से अप्रार्थी वीसाराम अपने पट्टशुदा भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा करने की नियत से प्रार्थी की कब्जे भोगवटे की भूमि में दखलअंदाजी कर रहा है तथा प्रार्थी के हक अधिकारों को चुनौती दे रहा है। जबकि प्रार्थी जिस भूखण्ड पर काबिज है वह भूमि कभी भी रास्ता या रास्ते का भाग नहीं रही है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण व आमजन की जानकारी में अपने कब्जे भोगवटे के भूखण्ड पर काबिज होकर उसका उपयोग व उपभोग कर रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा भी कभी भी प्रार्थी के कब्जे के संबंध में उजर एतराज नहीं किया गया है तथा अप्रार्थी वीसाराम के पश्चिम दिशा में मकान का कोई दरवाजा भी खुला हुआ नहीं है। यह कि वादग्रस्त पट्टा स्थल की मौके की भौतिक स्थिति अनुसार पश्चिम दिशा में उसके लगता हुआ कोई रास्ता मौके पर नहीं है बल्कि उक्त पट्टे के पश्चिम दिशा में प्रार्थी के कब्जे भोगवटे का भूखण्ड है, जिस पर चार दीवारी का निर्माण किया हुआ है। उक्त पट्टा संख्या 15 मौके की भौतिक स्थिति के विपरित अडौस पडौस अंकित करते हुए जारी किया गया है और इस प्रकार उक्त पट्टा नियम विरूद्ध मौके की भौतिक स्थिति के विपरित जारी किया गया है तथा उक्त पट्टा पंचायती राज अधिनियम व नियमों की पालना नहीं करते हुए कानुन के विपरित जारी किया है। यह कि पट्टाग्रस्त सम्पत्ति के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी वीसाराम का कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथा आज भी उक्त भूमि का प्रार्थी उपयोग कर रहा है। अप्रार्थी वीसाराम एवं उनके वारिसान उक्त शून्य व अकृत पट्टे की आड में प्रार्थी के कब्जेशुदा भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है। उक्त प्रश्नगत पट्टा सुख्या 15, अप्रार्थी वीसाराम के पिता चेलाराम पुत्र भीमाजी पुरोहित के नाम से जारी किया हुआ है। चूंकि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में अप्रार्थी वीसाराम उपयोग उपभोग में ले रहा है, इसलिए स्वर्गीय चेलाजी के वारिसानों को इस निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया है फिर भी न्यायालय यदि उचित समझे तो प्रार्थी भविष्य में उनके वारिसानों को पक्षकार बनाने हेतु तैयार एवं तत्पर है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा अप्रार्थी वीसाराम के पिता चेलाराम पुत्र भीमाजी पुरोहित, निवासी– चडुआल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 28.10.1985 को निरस्त किया जावे। साथ ही, विकल्प में यह भी अनुरोध है कि यदि पट्टे को खारिज नहीं किया जाता है तो मौके की भौतिक स्थिति को देखते हुए प्रश्नगत पट्टे के पश्चिम दिशा में लिखे गये शब्द रास्ता को विलोपित करते हुए पड़त भूमि या प्रार्थी का नाम इन्द्राज कराने के आदेश पारित किये जावे।

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा श्री चेलाराम पुत्र भीमाजी, जाति– पुरोहित, निवासी– चडुआल के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 15 दिनांक 28.10.1985 को जारी किया गया है, जिस पर मिसल संख्या 23 दायरा दिनांक 25.7.1984 अंकित की हुई है।

इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि "प्रार्थी निगरानीकार ग्राम चडुआल, तहसील व जिला– सिरोही का स्थाई निवासी है। प्रार्थी के कब्जे भोगवटे का एक पुश्तैनी भूखण्ड ग्राम चडुआल में फाचरिया जाने वाले सडक पर आया हुआ है, जिसके उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण में आवासीय भूमि गणेश गलबाजी, पूर्व में अप्रार्थी वीसाराम का मकान व पश्चिम में रास्ता है तथा नाप उत्तर में 40 फीट, दक्षिण में 40 फीट, पूर्व में 40 फीट, पश्चिम में 40 फीट कुल क्षेत्रफल 1600 वर्गफीट है। उक्त वर्णित पुश्तैनी कब्जे भोगवटे के भूखण्ड पर प्रार्थी अपने बाप दादाओं के समय से निरंतर व निर्बाध रुप से अप्रार्थीगण व आमजन की जानकारी में काबिज है और उसका उपयोग व उपभोग कर रहा है और उसमें जलाऊ लकडी व पशुओ का गोबर, चारा व सामान आदि रखने हेतु काम में लेता आ रहा है और आज से करीब 6 वर्ष पूर्व उक्त भूखण्ड़ के तीनो तरफ प्रार्थी के पिता ने नींव भरवाकर बाउण्ड्री वाल का निर्माण करवाया है। प्रार्थी के उक्त पुश्तैनी भूखण्ड के लगता हुआ पूर्व दिशा में अप्रार्थी वीसाराम का आवासीय भूखण्ड आया हुआ है जिसमें अप्रार्थी वीसाराम ने मकान निर्माण करवाया है। अप्रार्थी वीसाराम के पिता के नाम से उक्त भूखण्ड का पट्टा संख्या 15 ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा दिनांक 28.10.1985 को जारी किया हुआ है, जिसमें पश्चिम दिशा में 15 फीट का रास्ता गलत दर्शाया है जबकि मौके पर कोई रास्ता नही है। मौके पर अप्रार्थी वीसाराम के मकान से लगते हुए पश्चिम दिशा में प्रार्थी का पुश्तैनी भूखण्ड आया हुआ है और इस भूखण्ड के पश्चात् आम रास्ता आया हुआ है जो मोहब्बतनगर से फाचरिया ग्राम जाने का रास्ता है।"

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि चेलाराम पुत्र भीमाजी पुरोहित, निवासी– चडुआल के पक्ष में प्रश्नगत पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा किसी तरह की कोई अनियमितता बरती गई हो। जबकि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफस् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 15 दिनांक 28.10.1985 की भूमि पर अप्रार्थी वीसाराम का मकान बना हुआ है एवं उक्त मकान के आगे एक दिशा में एक खुला भूखण्ड़ दर्शित हो रहा है, जिस पर नीवं लेवल तक दिवार बनी हुई दिखाई हुई दे रही है एवं उसके आगे रास्ता प्रतीत हो रहा है एवं प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में अंकित इसी खुले भूखण्ड़ (जिस पर नीवं लेवल तक दीवार बनी हुई है) को स्वयं का पुश्तैनी कब्जेशुदा भूखण्ड़ बताया है। हालांकि प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में उक्त भूखण्ड़ पर पुश्तैनी व पुराने कब्जे के संबंध में किसी तरह की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, परन्तु उक्त फोटोग्राफस् के अनुसार अप्रार्थी वीसाराम के मकान के पश्चिम दिशा में मौके पर उक्त खुले भूखण्ड़ (जिस पर नीवं लेवल तक दीवार बनी हुई है) के आगे रास्ता प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः मौके पर प्रश्नगत पट्टा संख्या 15 के पश्चिम दिशा में प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जेशुदा भूखण्ड़ है अथवा नही? तथा प्रश्नगत पट्टा संख्या 15 से संबंधित भूखण्ड़ के मौके पर पश्चिम दिशा में रास्ता है अथवा खुला भूखण्ड़ स्थित है? के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा मौके की रेकर्ड अनुसार जांच की जाने के बाद ही मौके की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी को ग्राम पंचायत, तंवरी के समक्ष मौके की स्थिति अनुसार चतुर्दशी अंकित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये।

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, तंवरी को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, तंवरी में ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा चेलाराम पुत्र भीमाजी पुरोहित, निवासी–चडुआल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 28.10.1985 में अंकित चतुर्दशी में पश्चिम दिशा में अंकित चतुर्दशी में संशोधन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा उक्त पट्टा संख्या 15 दिनांक 28.10.1985 की भूमि के मौके एवं अडौस--पडौस की रेकर्ड अनुसार जांच करके एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए उक्त पट्टा संख्या 15 दिनांक 28.10.1985 की भूमि के पश्चिम दिशा में अंकित चतुर्दशी में मौके की वास्तविक स्थिति का अंकन किया जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24 जनवरी, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही